राजस्थान सरक
राजस्व मण्डल राजस्थ

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प-68/03/ 1281—1313 दिनांक 25.2

जिला कलक्टर,
समस्त ।

विषयः- भू.अ.कम्प्यूटराईजेशन योजना के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निवेदन है कि भू0अ0कम्प्यूटराईजेशन योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है :-

(1) - <u>जिला स्तर से जमाबन्दी की कम्प्यूटर से प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में :-</u>

राजस्व विभाग द्वारा तहसील में स्थापित कम्प्यूटरों की जिला स्तर से Connectivity कायम करने के उद्देश्य से सभी जिलों को एल.आर.सी. योजना में कम्प्यूटर उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे है । इन कम्प्यूटरों को उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यदि कोई काश्तकार/ आवेदक संबंधित ज़िले में स्थिति कृषि भूमि की जमाबन्दी की कम्प्यूटर से प्रमाणित नकल यदि जिला मुख्यालय से लेना चाहे तो उसे यह सुविधां जिला मुख्यालय पर भी उपलब्ध हो सकें ।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जिस प्रकार से तहसील मुख्यालय के "अपना खाता" कम्प्यूटर केन्द्र से कृषक/ आवेदकों को जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाती है, नियमानुसार उसी व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर भी सदर कानूनगों के हस्ताक्षरों से कम्प्यूटर से तैयार जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियाँ काश्तकार/ आवेदकों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ।

(II)-<u>जिला स्तर पर रिसोर्स परसन पटवारी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में :-</u>

राजस्व विभाग द्वारा जिला स्तर पर कम्प्यूटर उपलब्ध कराये जाने तथा जिलों से तहसील स्तर की कनेक्टीविटी कायम हो जाने के साथ ही जिला स्तर पर सदर कानूनगों कार्यालय में कम्प्यूटर प्रशिक्षित पटवारी रिसोर्स परसन की आवश्यकता रहेगी अतः आपके जिले में तहसीलों में "अपना खाता केन्द्रों" पर नियुक्त रिसोर्स परर्सन के पदस्थापन के बाद शेष किसी कम्प्यूटर प्रशिक्षित एक पटवारी की नियुक्ति जिला स्तर पर (स्थानान्तरण पर प्रतिबन्ध हटते ही) शीघ्र करावें जिससे जिला स्तर पर भी काश्तकार/ आवेदकों को जमाबन्दी की नकलें मिलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो ।

(III)- **प्रीप्रिन्टेड स्टेशनरी के संबंध में :-**

राजस्व विभाग के पत्र क्रमांकः प-7(2)राज/ 2/ 2003 दिनांक 11.08.2004 द्वारा आपको जमाबन्दी अब कम्प्यूटर प्रीप्रिन्टेड स्टेशनरी पर ही तैयार करने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी पालना में उक्त स्टेशनरी की नियमानुसार व्यवस्था आपके स्तर से की जा चुकी होगी । इस संबंध में आपको पर्याप्त मात्रा में बजट भी मद 2029- जिला व्यय- संधारण (नोन प्लान) मद से उपलब्ध कराया जा चुका है।

इस संबंध में पुनः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपलब्ध बजट में से नियमानुसार कम्प्यूटर हेतु प्रीप्रिन्टेड स्टेशनरी की व्यवस्था जिस प्रकार से वर्तमान में जमाबन्दी डेटा फीड किये हुवे है उसी पैशानी के प्रीप्रिन्टेड स्टेशनरी की व्यवस्था सुनिश्चित कर भविष्य में सभी जमाबन्दियॉ कम्प्यूटर प्रीप्रिन्टेड स्टेशनरी पर ही तैयार करवावें ताकि कम समय में अधिक से अधिक प्रिन्टिंग की कार्यवाही हो सके ।

(I)- **जिला मुख्यालय की तहसील के प्रिन्टर को अन्य तहसीलों के उपयोग में लेने के संबंध में :-**

राजस्व विभाग द्वारा जिला मुख्यालय की तहसील को हाईस्पीड प्रिन्टर्स उपलब्ध कराये गये हैं। इनका उपयोग अपना रिकार्ड मुख्यालय स्थित तहसील पर लाकर जिले की अन्य तहसीलों द्वारा भी आवश्यकतानुसार किया जा सकता है अतः इस संबंध में कृपया संबंधित तहसीलदारों को समुचित निर्देश प्रदान करावें ताकि कम्प्यूटर उपकरणों का समुचित उपयोग हो सकें ।

भवदीय,

उप-निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर

क्रमांकः राम/सम/ 1314-17 दिनांक 2-5-2005

प्रतिलिपीः-

1 उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., एन.आई.सी., राजस्थान राज्य ईकाई कमरा नम्बर 318, उत्तर पश्चिम खण्ड, सचिवालय, जयपुर ।
3 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
4. सम्पादक राजस्व [illegible]

उप-निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राज.,अजमेर